



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 147 दिवस का कारावास व 1200 रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 29/1992 धारा-25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अरविन्द उर्फ नेता पुत्र रामकिशोर अवस्थी निवासी चिचारा थाना खन्ना तत्कालीन जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 147 दिवस का कारावास व 12,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
पीओ श्री विकास



विवेचक-
उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह
यादव



पैरोकार- थाना सिसोलर
हे0का0 राघवेन्द्र